आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Directorate of Social Welfare, Government of Manipur

# Manipur Old Age Pension Scheme

मणिपुर वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष या उससे ऊपर के बेसहारा बुज़ुर्गों और बिना आय की विधवाओं को हर महीने पेंशन देती है, जो मणिपुर में दस साल से ज़्यादा समय से रह रहे हों।

### क्या मिल सकता है

निदेशालय के नियमों के पृष्ठ पर पेंशन हर पात्र व्यक्ति के लिए 200 रुपये प्रति माह लिखी है। यदि पति और पत्नी दोनों बेसहारा हों, तो दोनों को पेंशन मिल सकती है।

### किसके लिए है

60 वर्ष या उससे ऊपर के बेसहारा व्यक्ति और विधवाएं, जिनकी कोई आय या आय का स्रोत नहीं है और जो मणिपुर में दस साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं।

### मुख्य शर्तें

- आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
- आपकी अपनी कोई आय या आय का स्रोत नहीं होना चाहिए, और कानूनन आपका भरण-पोषण करने वाले किसी व्यक्ति से भी नहीं।
- आप भारत के नागरिक हों और आवेदन करते समय दस साल से ज़्यादा समय से मणिपुर के निवासी हों।
- जिस विधवा के पास संपत्ति की आय समेत कोई आय का स्रोत नहीं है, या जिसका भाई कमाता है, वह पेंशन के नियमों के दायरे में आती है।

### दस्तावेज़

- आयु के प्रमाण के रूप में चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र
- आपके हस्ताक्षर वाली दो हाल की फ़ोटो, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित
- निर्धारित प्रारूप में डीसी, एसडीओ या एसडीसी का आय प्रमाणपत्र, या आवेदन में नौकरीपेशा व्यक्ति का नाम हो तो उसके नियोक्ता का

### आवेदन कैसे करें

1. आवेदन पत्र MOAP-I भरें।
2. उसे अपने रहने वाले ज़िले या उप-मंडल के उपायुक्त या एसडीओ को दें।
3. चिकित्सा प्रमाणपत्र, फ़ोटो और आय प्रमाणपत्र साथ लगाएं।
4. इसके बाद आवेदन मणिपुर सरकार के समाज कल्याण निदेशक को भेजा जाता है।

### स्थिति

चालू

**आधिकारिक स्रोत:** https://socialwelfare.mn.gov.in/en/rules-regulations/manipur-old-age-pension/
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/manipur/mn-old-age-pension/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।